न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 61/2024

श्री आशुतोष पलसानिया पुत्र शंकर लाल जाट निवासी जनकपुरा टोरडी तहसील मालालपुरा जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 26.11.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन अपील पेश की है। अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक को आनॅलाइन आवेदन पत्र दिनांक 18.09.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

राहुल चौधरी ने विकलांग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था जिसकी पंजीकरण संख्या Applicant ID Number SAP/2017/633032 है। इससे प्रार्थी असंतुष्ट है। अतः दिनांक 10.8.2024 को राहुल चौधरी ने एक नए मेडिकल बोर्ड गठित कर, पुनः जाच करने हेतु एक आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट (डाक) द्वारा आपके विभाग में हस्तांतरित किया था जिसका Consignment Number-ER190418127IN है।

Item Booked 10.08.2024

Item Delivered 12.08.2024

इसके संदर्भ में निम्न सूचनाओं उपलब्ध कराए।

1 इस आवेदन की दैनिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराए अर्थात यह आवेदन किन—किन अधिकारियों के पास गया तथा किस अधिकारी के पास ने दिनों तक रहा तथा उस दौरान उन अधिकारियों ने उस पर क्या कार्यवाही की।

2 आपके विभाग के नियम के अनुसार इस आवेदन पर अधिकतम कितने दिनों में कार्यवाही हो जानी चाहिए। — क्या इस मामले में उपरोक्त समय सीमा का पालन किया गया है।

3. उन अधिकारियों/ कर्मबारियों का नाम तथा पद बताए जिन्हें इस आवेदन पर कार्यवाही करनी थी परंतु उन्होंने कार्यवाही नहीं की।

4 इस आवेदन पर कार्यवाही नहीं होने पर इस की शिकायत किस अधिकारी तथा किस विभाग में की जा सकती है। उनका नाम, ईमेल आइडी, ऑफिस के पते की एक प्रतिलिप भी संलग्न करे । (क्रमागत रूप से जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के विभाग के उच्च अधिकारियो, पदों का विवरण शामिल हो)

5. इस विकलांग प्रमाण से संबंधित पुन मेडिकल बोर्ड गठित करने से लेकर एक नया प्रमाण पत्र बनने तक की नियम प्रक्रिया का विवरण दीजिए।

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 1615 दिनांक 28.10.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 815 दिनांक 07.11.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा आनॅलाईन आवेदन तत्कालीन अति0 जिला कलेक्टर, टोंक श्री सुरेश चौधरी के ऑनलईन पोर्टल पर नहीं किया जाकर पूर्व अति0 जिला कलेक्टर श्री मुरारी लाल शर्मा के ऑनलाईन पोर्टल पर किये जाने के कारण इस कार्यालय में प्राप्त नही हुआ है। जिसके संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 816–817 दिनांक 07.11.2024 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है। लोक सूचना अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक) द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाने कि स्थिति में अपीलान्ट उनके प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील करने हेतु स्वतंत्र है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक